

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

(पीठासीन अधिकारी (कैम्प कोर्ट) कैम्प मीण्डा)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी..... मीण्डा..... व भू.अ.नि..... देवपीडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार मीण्डा..... की अनुषंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम..... मीण्डा..... तहसील नावां जिला नमनौर की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में खाता संख्या..... 215..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अपुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|--------|-------------|--|--|
| 1 | मीण्डा | 215 | प्रेमलाल पुत्र जगदीश जाति-नापु लक्ष्मी देह जातेदार | प्रेमलाल पुत्र जगदीश पुत्र जाति-नापु लक्ष्मी देह जातेदार |

26/5

पीठासीन अधिकारी
कैम्प कोर्ट..... मीण्डा.....

उपखण्ड अधिकारी, नावां (नमनौर)
नावां (डीडवाना-नुचामन)

26/6/25

क्रमांक/प्र.गा.के.स./2025/PDU/15

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री..... प्रेमलाल पुत्र जगदीश पुत्र जाति-नापु लक्ष्मी देह जातेदार..... को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी

कैम्प कोर्ट..... मीण्डा.....

उपखण्ड अधिकारी, नावां (नमनौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-नुचामन)